


110

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म० प्र०

नगरानी प्रकरण क्रमांक / 2014

391
18-7-14



Rs 20/-

R-2452-III/14

- 1- पुंज आनन्द चौधरी उम्र 39 वर्ष तनय स्व० शिवकुमार ब्रा०
- 2- श्रीमती मालती देवी उम्र 57 वर्ष पत्नी स्व० श्री शिवकुमार ब्रा०
- 3- गंगा प्रसाद उम्र 43 वर्ष तनय स्व० शिवकुमार ब्रा०

श्री. के. एन. सिंह
द्वारा आज दिनांक 18-07-14 को
प्रस्तुत किया गया।

तोनो निवासी पाण्डेन टोला रीवा तह० हुजूर,

जिला रीवा म० प्र० ----- आवेदकगण
सर्किट कोर्ट रीवा विरुद्ध

- 1- धीरेन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष, तनय विद्या निवास सिंह
निवासी पाण्डेन नगर रीवा
- 2- धेवन आनन्द उम्र करीब 36 वर्ष तनय स्व० शिवकुमार ब्रा० निवासी

क्रमांक 2372 पाण्डेन टोला रीवा, तहसील हुजूर, जिलारीवाम० प्र० -- आवेदकगण
रजिस्टर्ड कोर्ट आज पुनरी दाय विरुद्ध आदेश नकशा
दिनांक को प्राप्त तमीम दिनांक 30-6-014 ई० जो कि

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रा० निरीदाक तह० हुजूर, द्वारा किया गया है, अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० मुराजस्व संहितासन 1959 ई०

मान्यवर, पुनरीदाण के आधार निम्नलिखित है:-


- 1- यह कि आदेश रा० निरीदाक तहसील हुजूर, जिलारीवा दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-रीवा

मामला क्र०-R.2452-III/14

पंकज आनंद चतुर्वेदी/धीरेन्द्र सिंह

| (1) | (2) | (3) |
|----------|--|---|
| 25.04.17 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूंकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। | <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> |

M